कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी–18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांकः प्रशा–डी–तीन–6836/ 2460 दिनांकः 2-11-2016

सेवा में

वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल,
पंचकुला।

Dairy No. 2449
Date 15/11/16

विषयः Diversion of 0.288 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, Provincial Division No. 2, PWD B&R, Kaithal for construction of new HL Bridge down stream side of existing HL Bridge on Ghaggar River at km. 235 on Kaithal-Patiala road, under forest division and District Kaithal, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/Road/19835/2016.

संदर्भः आपका पत्र क्रमांक 2241 दिनांक 18–10–2016 ।

कृपया उपर्युक्त विषय पर संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अनुमति मांगी गई है ।

2. सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1670–व–2–2016/8430 दिनांक 6–5–2016 की अनुरूपता में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय स्तर पर इस प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त उद्देश्य हेतु 0.288 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी की सहमति/स्वीकृति उपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करने पर प्रदान की जाती है :–

(i) प्रयोक्ता एजेन्सी से स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए ।

(ii) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30–10–2002, 28–3–2008 एवं 9–5–2008 तथा पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5–3/2007–एफ०सी०, दिनांक 5–2–2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजैन्सी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रैजेन्ट वैल्यु जमा करवाई जाए ।

(iii) प्रयोक्ता एजैन्सी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की website http://forestsclearance.nic.in या http://efclearance.nic.in पर ऑनलाईन जमा करवाएगी ।

(iv) "अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006" की अनुपालना में सम्बन्धित जिलाधीश की ओर से प्रमाण पत्र प्राप्त करके तुरन्त इस कार्यालय को भेजें ।

उपर्युक्त शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए तथा अन्तिम अनुमति दिए जाने तक वन भूमि पर कार्य नहीं किया जाना चाहिए ।

नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक (एफ०सी०)
कृतेः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकुला ।

प्रतिलिपि :–

1. वन मण्डल अधिकारी, कैथल ।
2. Executive Engineer, Provincial Division No. 2, PWD B&R, Kaithal.

Demand already sent to S.E.(Ki) vide T/o No Dt

वन विभाग, हरियाणा
कार्यालय : उप वन संरक्षक, कैथल वन मण्डल, कैथल
फायर ब्रिगेड के सामने, नजदीक पेहवा चौंक, कैथल–136027, फोन व फैक्स -01746-228095 E-mail – dfo.ktl-hry@nic.in

क्रमांकः– 3061 दिनांकः– 4-11-16

Put up demand

DS/SR AO/HDM
8/11
Xen(P-II) Kaithal

सेवा में,

Executive Engineer,
Provincial Division No. II,
PWD B&R, Kaithal.

विषयः– **Diversion of 0.288 Ha. of forest land for construction of new HL Bridge down stream side of existing HL Bridge on Ghaggar river at Km. 235 on Kaithal-Patiala Road, under Forest Division and District Kaithal, Haryana. (FP/HR/Road/19835/2016).**

संदर्भः– नोडल ऑफिसर एवं वन संरक्षक (एफ0 सी0), कृतेः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकूला का पत्र क्रमांक प्रशा–डी–तीन–6836/2460 दिनांक 02/11/2016।

Executive Engineer P-II
Dairy No. 2649
Date 8/11/16
KAITHAL

:–:

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि उक्त प्रस्ताव की प्रथम स्टेज अपरूवल हो चुकी है। अतः आप प्रस्ताव से सम्बन्धित नैट प्रजैन्ट वैल्यू आफ लैण्ड की राशि 255456/–रू0, क्षतिपूर्ति पौधारोपण हेतू 390989/–रू0 तथा 10 प्रतिशत ओवर हैड में राशि 39098/–रू व बाधक वृक्षों की कटाई का खर्च 2400/–रू0 तथा नष्ट पौधारोपण पर खर्च राशि 0/–रू0 सहित कुल 687943/–रू0 एडोक कैम्पा खाता सं0 01025209 कार्पोरेशन बैंक लोधी रोड़, न्यू दिल्ली में चालान जरनेट उपरांत ऑनलाईन जमा करवाकर रिपोर्ट इस कार्यालय में भेजें ताकि उक्त प्रस्ताव में आगामी कार्यवाही की जा सके।

उप वन संरक्षक,
कैथल।

पृ0 क्रमांकः– दिनांकः–

एक प्रति नोडल ऑफिसर एवं वन संरक्षक (एफ0 सी0), कार्यालय प्र0 मु0 व0 सं0, हरि0 पंचकूला को उनके पत्र क्रमांक प्रशा–डी–तीन–6836/2460 दिनांक 02/11/2016 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

sd/-
उप वन संरक्षक,
कैथल।